संख्याः 671/IV(2)-श0वि0–2015–27(NURM)10

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 23 जून, 2015

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत राजभवन, नैनीताल के जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 133/IV(2)-श0वि0–2015–27(JnNURM)/10, दिनांक 31.01.2015, शासनादेश संख्याः 717/IV(2)-श0वि0–12–27(JnNURM)/10, दिनांक 18.05.2012, शासनादेश संख्याः1539/IV(2)-श0वि0–2013–27(NURM)/10, दिनांक 04.12.2013 एवं शासनादेश संख्याः 1308/IV(2)-श0वि0–2014–27(NURM)/10, दिनांक 26.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राजभवन नैनीताल के जीर्णोद्धार एवं पुर्ननिर्माण परियोजना हेतु कुल ₹872.90 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि है कि परियोजनान्तर्गत अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल **₹100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) उक्त धनराशि **₹100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

(iv) कार्यदायी संस्था से मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने पर ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जाए।

(v) जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा।

(vii) **परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।**

(viii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

..2/-....

(ix) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(x) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(xi) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(xii) निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

(xiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2016 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय **वर्ष 2015–16** के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना–05– नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 91/XXVII(2)/2015, दिनांक 20.06.2015 में प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S1506130136 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0 671 (1)/IV(2)-श0वि0–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(आडिट)/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त अनुभाग–1/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
10. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नैनीताल।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।